

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् ६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	<p style="text-align: center;">न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवाद अपील वाद संख्या 183/2012</p> <p style="text-align: center;">राम चन्द्र साह — अपीलार्थी</p> <p style="text-align: center;">वनाम</p> <p style="text-align: center;">रंजू देवी — रेस्पोंडेन्ट/विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">-:आदेश:-</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा सदर के न्यायालय के आदेश 03.05.2012 ई० अंदर भूमि विवाद वाद संख्या- 204/11 के विरुद्ध खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स के दाखिल किया गया है ।</p> <p>अपीलार्थी अपील आवेदन में कथन करते हैं कि वे निर्बंधित दस्तावेज संख्या 11289/91 दिनांक 29.10.1991 के द्वारा उत्तरवादी संख्या -2 राजो साहु से अन्दर मौजा सिमराहा थाना नं० 185 खाता पु० -53, नया -254, खेसरा पुराना -379, नया- 433 रकबा 1 कट्ठा चौहद्दी - उत्तर - राजो साह निज मोकिर, दक्षिण- ब्रम्हदेव साहु वो सियाराम यादव, पुरब- सीमान गंगजला, पश्चिम- रोड वो ब्रम्हदेव साह से खरीदकर खरीदगी की तिथि से हकदार वो दखलकार चले आ रहे थे।</p> <p>अपीलार्थी आगे यह कथन करते हैं कि उक्त जमीन पर जानिब पुरब से सीमान लगाकर 10 फीट जमीन पुरब- पश्चिम तथा करीब 23.1/2 फीट जमीन उत्तर- दक्षिण लैटिन, बाथरूम, कीचन आदि के लिए खाली छोड़कर उसके पश्चिम शेष जमीन पर पक्का घर मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। दिनांक 27.01.2010 ई० को उत्तरवादी संख्या 1 रंजू देवी लाठी के बंदौलत उक्त खाली जमीन पर जबरन दखल कब्जा कर लिया और धीरे- धीरे ईटा चदरा का घर बना लिया।</p> <p>अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के आवेदन पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेशानुसार अनुमंडलाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में विविध वाद संख्या 116/10 अन्दर धारा 144 दं० प्र० सं० की कार्यवाही चली, जिसे दिनांक 12.05.2010 को आवासीय भूमि से संबंधित विवाद बताकर बंद कर दिया गया।</p> <p>आगे यह भी कथन करते हैं कि भूमि वाद संख्या 204/2011 में उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना लिखित बयान दाखिल किया और</p>	



सुनवाई फ़्यात विद्वान न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर सहरसा ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2012 को बाद की कार्यवाही समाप्त कर दी, जिससे व्यथित वो क्षुब्ध होकर यह अपील दाखिल किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी इस न्यायालय के समक्ष लिखित जबाब एवं विज्ञा अधिवक्ता के बहस के माध्यम से यह कथन करती हैं कि अपीलार्थी / वादी के अपील वाद के पारा नं० 1, 2 में दिए गये अभिकथन एवं मेनो ऑफ अपील के पारा नं० 3, 4 एवं 5 में अंकित अभिकथन को रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी कबूल नहीं करती हैं।

रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी आगे कथन करती हैं कि पुराना खेसरा नं० 379 नं० 433 अंदर खाता नं० 53 में अंदर मौजा— सिमराहा, थाना एवं जिला— सहरसा के मवाजी 13 धुर जमीन वाजिब कीमत अदाय कर रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी ने मनोरमा देवी से निबंधित केवाला दिनांक 20.12.1999 ई० के जरिए खरीद की तथा इसी खाता खेसरा के अंदर मवाजी 13 धुर जमीन दूसरे निबंधित केवाला दिनांक 13.09.2001 ई० के जरिए वाजिब कीमत अदाय कर अरुण कुमार यादव से खरीद किये। इस तरह रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी दोनों केवाला के जरिए कुल 1 कट्टा 6 धुर जमीन पर खरीदगी के समय से ही हकदार व दखलकार चली आ रही है।

रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी आगे कथन करती हैं कि अपीलार्थी / वादी के पारा नं० 6 में यह बयान कि उसने जानिब पूरब से सीमान लगाकर 10 फीट चौड़ा पूरब पश्चिम वो 23.1/2 फीट लम्बा उत्तर— दक्षिण अपीलार्थी / वादी ने लेट्रिन, बाथरूम, कीचेन आदि के लिए छोड़ा था, जिसको रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी ने 27.01.2010 को बाजबर्दस्ती लाठी के बल पर दखल कर लिया बिल्कुल गलत है तथा असलियत के खिलाफ है।

रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी आगे कथन करती हैं कि सिरो साह को पुराना खाता -53 पुराना खेसरा -379 की भूमि दिनांक 10.08.1945 ई० हेंसी मंडल से प्राप्त था। सिरो साह के उनके दो पुत्र जहुरी साह वो भोला साह के बीच बहुत कवल आपुसी बँटवारा में दक्षिण तरफ से जहुरी साह के हिस्सा व दखल में आयी और जहुरी साह के उत्तर भोला साह के हिस्सा व दखल में आयी और भोला साह के उत्तर जहुरी साह के हिस्सा व दखल में मिली तथा बाँकी जमीन सबसे उत्तर भोला साह को मिली। जहुरी साह के मरने के बाद उनके लड़के शिव नारायण साह एवं बिजली साह अपने पिता की जमीन पर हकदार एवं दखलकार हुए व रहते आये और इसी जहुरी साह के पुत्र शिव नारायण साह से मो० ईसराईल ने 2 कट्टा 14 धुर जमीन खरीद किया। पुनः शिवनारायण साह ने खाता 53 खेसरा पुराना 379 मिलजुमला रकबा 1 कट्टा 6 धुर जमीन उत्तर— नीज मोकिर, दक्षिण नम्बरहाजा दिगर खरीदार, पूरब—सीमाना सहरसा, पश्चिम— सड़क निबंधित दस्तावेज दिनां 27.08.1988 ई० को फूल कुमार यादव पिता रामजी यादव तथा अरुण कुमार यादव पिता पन्नालाल यादव को बेच दिया। इस प्रकार क्रेतागण अपने— अपने जमीन पर हकदार एवं दखलकार रहे। क्रेता फूल कुमार यादव अपनी माता नागो देवी को छोड़कर नावलद मर गये और फूल कुमार यादव की उक्त खरीदगी जमीन 13 धुर तथा उनकी दिगर जायदाद पर नागो देवी पति स्व० रामजी यादव हकदार एवं दखलकार बनी।

रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी आगे कथन करती हैं कि नागो देवी ने अपने देवर की बेटी मनोरमा देवी पति ललन कुमार को रकबा 13 धुर जमीन निबंधित दान पत्र दिनांक 12.05.94 को कर दिया एवं मनोरमा देवी पति ललन कुमार हकदार एवं दखलकार हुई। मनोरमा देवी ने इसी भूमि को दिनांक 20.12.1999 ई० को रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी के हाथ बिकी कर दी एवं तदनुसार रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी हकदार दखलकार हुए। अरुण कुमार भी दिनांक 13.09.2001 को रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी के हाथ बिकी कर दिया। इस प्रकार 1 कट्टा 6 धुर पर रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी घर मकान बनाकर दखलकार है। रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी के नाम उक्त कुल खरीदगी जमीन का मुटेशन होकर मालगुजारी रसीद मवाजी 1 कट्टा 6 धुर जमीन की वर्ष 2013 तक बिहार सरकार से हासिल है और रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी ने खरीदगी जमीन में घर बनाया 2001 ई० और सहरसा नगर परिषद से होल्डिंग रसीद भी वर्ष 2007 तक रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी को हासिल है इसी 1 कट्टा 6 धुर के ठीक उत्तर में अपीलार्थी / वादी की जमीन है।

रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी आगे कथन करती हैं कि उपरोक्त तथ्यों के

बावजूद भी अपीलार्थी/वादी ने विपक्षी की जमीन 470 कड़ी जमीन उत्तर तरफ से असमाजिक एवं अपराधियों के सहयोग से उसपर अपने मकान की छज्जी बढ़ाकर अजरा जबर्दस्ती अवैध अतिक्रमण कर लिया जिसके लिए पूर्व वार्ड आयुक्त मो० रोजित की अध्यक्षता में पंचों तथा उभय पक्षों के सामने दिनांक 07.07.2002 ई० को पंचायत हुई एवं जिसमें पंचों ने पूरी जाँच पड़ताल के बाद पाया कि प्रतिवादी की 470 वर्ग कड़ी जमीन उत्तर तरफ से नाजायज एवं अवैध रूप से अपीलार्थी/वादी अपने मकान की छज्जी बढ़ाकर बना लिया, जिसे अपीलार्थी/वादी ने भी पंचों के सामने कबूल व मंजूर किया तथा यह भी वादा किया कि उस छज्जी को तोड़ देंगे। पंचों के द्वारा दिये फैसला को उभय पक्षों ने कबूल व मंजूर किया और पंचों तथा उभय पक्षों ने भी पंचों के उस पंचायती लिखित फैसला पर अपना-अपना हस्ताक्षर किया।

आगे यह भी कथन करती हैं कि रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी तथा उनके पति के खिलाफ झूठा नालशी केश नं० 511 सी/2002 दायर कर दिया जो खारीज हो गया।

आगे यह भी कथन करती हैं कि उभय पक्षों तथा पंचों के सामने रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी की खरीदगी जमीन की नापी दिनांक 19.05.09 को नगर परिषद अमीन एवं अमीन लखीचंद यादव, कैलाश सरदार, महेश्वरी राय तथा विश्वनाथ झा ने नापी करने पर रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी की 470 वर्ग कड़ी जमीन अपीलार्थी/वादी तथा ब्रम्हदेव साह के द्वारा अतिक्रमण पायी गयी। पुनः मो० कलीम तथा जीतेन्द्र यादव वार्ड आयुक्त के द्वारा दिनांक 19.05.09 को पंचायत की गई और नापी के आधार पर फैसला पंचों द्वारा किया गया कि रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी की 470 वर्ग कड़ी जमीन अपीलार्थी एवं ब्रम्हदेव साह के द्वारा अतिक्रमण की गयी है पंच फैसला के अनुसार शिव नारायण साह की 470 वर्ग कड़ी खाली जमीन अपीलार्थी/वादी की जमीन के पूरब इस अतिक्रमण की क्षतिपूर्ति के लिए रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी को दी गयी। पंच फैसला दिनांक 19.05.09 के आधार पर पंचनामा तैयार हुआ जिसे उभय पक्ष पढ़कर एवं समझ बुझकर तथा सही पाकर स्वेच्छा से बिना किसी जबरदस्ती, दबाव, बहकाव एवं प्रलोभन के कबूल कर अपना-अपना हस्ताक्षर तथा पंचों ने भी हस्ताक्षर किया वो उक्त पंचनामा दिनांक 19.05.09 के मुताबिक अपीलार्थी/वादी के सामने विवादी जमीन रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी ने ईटा की दिवाल से घेर कर दिनांक 20.05.09 को उसमें आवासीय घर बिना किसी आपत्ति के बनाये तबसे रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी अपने परिवार के साथ उसमें रहती आयी हैं।

रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी आगे यह भी करती हैं कि अपीलार्थी/वादी के द्वारा श्रीमान् एस० डी० एम०, सहरसा को परिवाद पत्र दिया गया, जिसे जाँच करने के लिए उन्होंने कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहरसा श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह को आदेश दिया जिन्होंने जाँच कर अपना जाँच प्रतिवेदन 1326-2 सपत्र दिनांक 06.09.2010 द्वारा दिया कि अपीलार्थी/वादी के द्वारा रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी तथा उनके परिवार को नाहक परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी के खिलाफ किया गया और दूसरों से भी करवाया गया। यह भी कथन करती हैं कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी को विवादी खाता खेसरा के अंदर 1 कट्टा 6 धूर में से 1 कट्टा जमीन के संबंध में विविध केश नं० 116/2010 श्रीमान् अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय सहरसा में दायर किया गया जो जाँच पड़ताल में झूठा एवं गलत पाया गया और दिनांक 12.05.2010 को खारीज हो गया।

रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी यह भी कथन करती हैं कि रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी ने अपीलार्थी/वादी के नाजायज हरकत के संबंध में दिनांक 18.07.2002, दिनांक 05.03.2010, तथा 09.04.2010 ई० को श्रीमान् आयुक्त कोश पी प्रमंडल, सहरसा, डी० आई०जी०, एस०डी०ओ०, डी०एस०पी० एवं थाना प्रभारी सहरसा को आवेदन दिया जो जाँच पड़ताल में अपीलार्थी/वादी की नाजायज हरकत साबित हुई। रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी/वादी के विरुद्ध दिनांक 24.07.2009 को अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को एक सनहा भी दिया गया था जिसका प्राप्ति संख्या 1531 दिनांक 24.07.09 है। यह भी कथन करती हैं कि अपीलार्थी/वादी द्वारा श्रीमान् आयुक्त, कोश पी प्रमंडल, सहरसा को दिये गये आवेदन दिनांक 19.08.2002 में कथन किया

गया है कि दोनों आदमी के बीच में जो मुकदमा चला वो भी मेल-मिलाप हो गया तथा मैं जो भी श्री शर्मा के विरुद्ध एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया उसे निरस्त माना जाएगा। यह भी उनके द्वारा कथन किया गया है कि मेरे द्वारा भेजे गए किसी भी आवेदन पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं किया जाय।

रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी आगे यह भी कथन करती हैं कि विविध केश नं० 116/2010 में अपीलार्थी/वादी ने पुराना खाता 53 नया खाता 254 पुराना खेसरा नं० 379 नया खेसरा नं० 433 की 1 कट्टा जमीन पर धारा 144 दं० प्र० संहिता के अंदर केश किया लेकिन अधिकार वाद नं० 35/2010 में 235 वर्गफीट तथा इस मुकदमा में 235 वर्गफीट पर मुकदमा किया।


रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा दि० 15.03.2013 को इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दाखिल करते हुए अनुरोध किया गया कि अपीलकर्ता रामचन्द्र साह एवं उक्त ब्रह्मदेव साह के जिम्मा कितनी- कितनी जमीन है। इस संबंध में नगर परिषद, सहरसा के कार्यपालक पदाधिकारी से प्रतिवेदन माँगने का आदेश दिया जाय। उक्त आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 964/ सपत्र दिनांक 16.04.2013 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त आलोक में कार्यपालक, नगर परिषद, सहरसा के पत्रांक 857/न० 40 दिनांक 03.08.2013 द्वारा अमीन नगर परिषद सहरसा का मापी प्रतिवेदन तथा ब्रह्मदेव साह एवं रामचन्द्र साह की जमीन से संबंधित अमीन नगर परिषद का प्रतिवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है। जमीन की मापी का जॉच प्रतिवेदन निम्नप्रकार प्रतिवेदित है:-


1. श्री राम चन्द्र साह के द्वारा प्राप्त रकबा एक कट्टा है। दखल किये गये रकबा एक कट्टा दो धूर है। जो खरीदी गयी रकबा से दो धूर अधिक है।

2. श्री ब्रह्मदेव साह के द्वारा प्राप्त रकबा दस धूर है। वर्तमान दखल रकबा भी दस धूर है।

3. श्रीमति रंजू देवी को प्राप्त रकबा एक कट्टा छः धूर है जिसमें स्थल सरजमीन पर जमीन एक कट्टा तीन धूर सोलह धूरकी जमीन होता है, जो खरीद रकबा से दो धूर चार धूरकी जमीन कमी है। जो खरीद रकबा पुरा करने पर एक धूर जमीन ब्रह्मदेव साह में इटा खपड़ा के मकान के जानीव दक्षिण से साढ़े तीन कड़ी चौड़ाई भीतर में जाता है और ब्रह्मदेव साह के जमीन राम चन्द्र साह के पास अधिक दो धूर जमीन के अन्दर जो रास्ता वो छतदार मकान बना हुआ है। इसलिये उपस्थित सभी पक्षों एवं पंचों के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राम चन्द्र साह के पास अधिक जमीन में से दो धूर जमीन राम चन्द्र साह का छतदार मकान के पूरब से निकाल कर रंजू देवी को दिया गया है। उक्त दो धूर जमीन पूरब से देने के बाद ब्रह्मदेव साह एवं रामचन्द्र साह दोनों का मकान बच जाता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। नगर परिषद, सहरसा का नापी/जॉच प्रतिवेदन एवं पंचों का निर्णय आदि रेस्पोण्डेन्ट/ प्रतिवादी के पक्ष में है, जो सही प्रतीत होता है। अपीलार्थी का दावा अवैध है क्योंकि उनको 1 कट्टा जमीन ही प्राप्त है। चूंकि प्रश्नगत विवादी जमीन के संबंध में अधिकार वाद संख्या 35/2010 न्यायालय मुंसिफ, सहरसा में अपीलार्थी/वादी द्वारा रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया गया है, जो लंबित है। वर्णित स्थिति में प्रस्तुत अपील वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापिप्त एवं संशोधित।


अधिवक्ता
कोशी प्रमंडल, सहरसा


अधिवक्ता
कोशी प्रमंडल, सहरसा।